ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) सूखा से प्रभावित गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी के बारे में गुजरात की राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं चल रहे राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मिनी मिशन परियोजनाओं और उप-मिशनों के तहत मुहैया कराई जाती हैं ।

(ग) और (घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात की राज्य सरकार को 1992-93 में 16.33 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे 1993-94 में बढ़ाकर 26.56 करोड़ रुपए कर दिया गया है । अब तक 13.28 करोड़ रुपए रिलीज़ जा चुके हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

3283. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लंबित पड़ा है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति में कितना समय लगने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) जनवरी 1993 में, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 3287.82 लाख रुपये रिलीज करने तथा वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु आवश्यक प्रावधान करने का अनुरोध किया था । चूंकि वर्ष 1992-93 के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि को रिलीज करना सम्भव नहीं था । राज्य सरकार को उनके 261.09 लाख रुपये के आबंटन के मुकाबले वर्ष 1992-93 हेतु 267.89 लाख रुपये रिलीज किए गए थे । 1993-94 के लिए 391.43 लाख रुपये के आबंटन में से 195.715 लाख रुपये रिलीज किए जा चुके हैं ।

बंजर भूमि के विकास के लिये ऋण

3284. **श्री गोपाल सिंह सो० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के विकास के लिये और निगम क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस संबंध में सूचना, तकनीकी जानकारी और वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विन्डो सुविधा प्रदान कराने के पक्ष में है;

(ग) क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि गुजरात में जिलेवार कितना-कितना भू-क्षेत्र बंजर है और क्या सरकार ने इस बंजर भूमि के सर्वांगीण विकास के लिये कोई कार्य योजना बनाई है,

(घ) सरकार ने गुजरात में बंजर भूमि के विकास के लिये कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) बंजर भूमि विकास विभाग इस समय "मार्जिन मनी सहायता" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है ? जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/कम्पनियों/अलग-अलग व्यक्तियों को वृक्षारोपण/वनरोपण के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जाती है । इसके लिये वित्त पोषण के पैटर्न में परियोजना लागत के कम से कम 50 प्रतिशत तक बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है और शेष राशि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड तथा संवर्धक एजेंसी द्वारा बराबर-बराबर मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी किन्तु इस राशि में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का हिस्सा कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत ही सीमित रहेगा । इस सहायता को मार्फत यह योजना बैंक ऋण के लिये राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सक्षमता मानदंड के दायरे में आ जाती है । निगमित क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं से इस विभाग को प्राप्त सुझावों को देखते हुए योजना में अब संशोधन किया जा रहा है । इस समय चल रही योजना को देखते हुए यह विभाग बंजर भूमि के विकास के लिये कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराने की एक अलग योजना पर विचार नहीं कर रहा है । पूरे देश में बंजर भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण के कार्यों के लिये राष्ट्रीय बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संस्थागत